प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

अध्यक्ष/निदेशक/प्रधानाचार्य,
परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र की संस्थाऐं।

पत्रांकः प्राशिप/परिषद/2026/ 812 **लखनऊः दिनांकः** 01-05-2026

विषयः <u>सत्र 2026-27 से परिषद से पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में ट्रीट किये जाने हेतु यू-राईज पोर्टल के माध्यम से आवेदन किये जाने के संबंध में।</u>

महोदय,

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग- 3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्याः I/949859/2025/16-3099/241/2023, दिनांकः 30.04.2025 **(संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उल्लिखित प्राविधान के अनुपालन में सत्र 2026-27 से परिषद से पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में ट्रीट किये जाने हेतु यू-राईज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने के उद्देश्य से यू-राईज पोर्टल प्रारंभ किया जा रहा है।

2. परिषद से पूर्व से सम्बद्ध संस्थान अल्पसंख्यक संस्था के रूप में ट्रीट किये जाने हेतु यू-राईज पोर्टल पर अपनी संस्था के SU Login के माध्यम से आवश्यक सूचना की प्रविष्टि व संबंधित अभिलेख अपलोड करते हुए आवेदन सबमिट कर सकेंगे।

3. **पूर्व से सम्बद्ध संस्थान यू-राईज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन दिनांकः 01-05-2026 से 30-05-2026 की रात्रि 11:59 बजे तक कर सकेंगे।**

4. पूर्व से सम्बद्ध संस्थान को निर्देशित किया जाता है कि वे यू-राईज पोर्टल पर समय से आवेदन करना सुनिश्चित करें, साथ ही यह भी अवगत कराना है कि इस संबंध में यूराईज पोर्टल के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम (ऑफलाइन/ऑनलाइन) से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

संलग्नकः यथोपरि।

(डॉ0 संतोष कुमार सिंह)
सचिव

पृ0सं0: प्राशिप/परिषद/2026/ 813-820 **तद्दिनांकः** 01-05-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन/अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ को प्रमुख सचिव/अध्यक्ष महोदय के अवगतार्थ।
2. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग- 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
5. विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ, उ0प्र0 शासन/निदेशक, अल्प संख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उ0प्र0।
6. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. नोडल अधिकारी यूराईज पोर्टल को उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु।
8. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि पत्र परिषद कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 संतोष कुमार सिंह)
सचिव

ई-मेल

शीर्ष प्राथमिकता/अतिमहत्वपूर्ण

संख्या-I/949859/2025/16-3099/241/2023

प्रेषक,

अजीज अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक:**30-04-2025**

विषय- प्राविधिक शिक्षा विभाग के डिप्लोमा सेक्टर में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग नई दिल्ली द्वारा घोषित अल्पसंख्यक संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संस्था के रूप में ट्रीट किये जाने की कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-38/52-3-2015-रिट (30)/2014 दिनांक 05 जनवरी 2015 द्वारा प्राविधिक शैक्षणिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक संस्था की अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वीकृति हेतु प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० शासन को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है एवं अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1552/52-3-2006-रिट 30/2014 दिनांक 18 मई 2016 द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग द्वारा घोषित अल्पसंख्यक संस्था को शासन के संबंधित विभाग द्वारा अल्पसंख्यक संस्था के रूप में ट्रीट करते हुए प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने का निर्देश दिया गया है।

2. प्राविधिक शिक्षा विभाग में डिप्लोमा स्तरीय प्राविधिक शैक्षणिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था घोषित करने के सम्बन्ध में अन्य विभागों, जैसे उच्च शिक्षा विभाग, की भांति एक नीति (शासनादेश) बनाये जाने की आवश्यकता पायी गयी। अन्य विभागों की नीतियों/शासनादेशों के अध्ययन के आधार पर सम्यक विचारोपरांत प्राविधिक शिक्षा विभाग में डिप्लोमा स्तरीय प्राविधिक शैक्षणिक संस्थायें, जिन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली द्वारा अल्पसंख्यक संस्था घोषित किया गया है, को राज्य सरकार के समक्ष अल्पसंख्यक संस्था के रूप में ट्रीट किये जाने की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

(1) प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिप्लोमा स्तरीय शिक्षण संस्थाओं को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में ट्रीट किये जाने हेतु समस्त कार्यवाही ऑनलाइन की जाएगी। भौतिक रूप से न तो आवेदन प्राप्त किया जायेगा और न ही किसी संस्था को अल्पसंख्यक संस्थान ट्रीट किये जाने के आदेश निर्गत किये जायेंगे।

(2) अल्पसंख्यक संस्था के रूप में ट्रीट किये जाने हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा यू-राईज

पोर्टल पर आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए प्रत्येक वर्ष 01 मई से 30 मई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

(3) आवेदक संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सुसंगत सूचनाओं/अभिलेखों सहित अपना आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदक संस्था/पंजीकृत ट्रस्ट/सोसाइटी के पास आवेदन के समय निम्न अभिलेख होने चाहिए, जिन्हें यू-राईज पोर्टल पर अपलोड करना होगा-

(i) अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली को प्रेषित आवेदन पत्र की प्रति।

(ii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग द्वारा निर्गत अल्पसंख्यक संस्था के प्रमाणपत्र की प्रति कवरिंग पत्र सहित।

(iii) संस्थान किस अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है? रू0 100/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र के साथ सूचना।

(iv) संस्था को संचालित करने वाली समिति का बायलॉज।

(v) परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्थान की प्रबंध समिति का प्रमाण एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों के अल्पसंख्यक होने का प्रमाण।

(vi) अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या: 440/52-4-2003-1(3)/96 दिनांक 29 मार्च 2003 के क्रम में जैन समुदाय से संबंधित अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रबंध समिति के सदस्यों के उ०प्र० का मूल निवास होने का प्रमाणपत्र।

(vii) नियामक संस्था (AICTE/PCI/COA) आदि का अनुमोदन/अनुमोदन विस्तार (नवीनतम) पत्र।

(viii) परिषद का सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार (नवीनतम) पत्र।

3. प्राविधिक शिक्षा परिषद स्तर पर एक स्क्रूटनी समिति द्वारा यू-राईज पोर्टल पर प्राप्त आवेदनपत्रों में उल्लिखित सूचनाओं एवं संलग्न अभिलेखों की प्रत्येक वर्ष 08 जून तक स्क्रूटनी की जायेगी। अस्वीकार किये गये आवेदनों को उस शैक्षिक सत्र में आवेदन का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

स्क्रूटनी समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे-

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष
2. विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ, उ०प्र० शासन/- सदस्य
   निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उ०प्र०*
3. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ- सदस्य
4. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ- सदस्य सचिव

* विशेष परिस्थितियों में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उ०प्र० द्वारा कम-से-कम संयुक्त निदेशक स्तर का अधिकारी नामित किया जाएगा।

4. स्क्रूटनी समिति द्वारा स्वीकार किये गये आवेदनों को प्रत्येक वर्ष 10 जून तक परिषद द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

5. परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

6. शासन द्वारा तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्था ट्रीट किये जाने संबंधी निर्णय के संबंध में परिषद द्वारा यू-राईज पोर्टल के माध्यम से संबंधित संस्थाओं को प्रत्येक वर्ष दिनांक 30 जून तक ऑनलाइन सूचित किया जायेगा।

प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिप्लोमा स्तरीय शिक्षण संस्थाओं को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में ट्रीट किये जाने की कार्यवाही हेतु निर्धारित समय-सारिणी-

क्रमांक	कार्य विवरण	निर्धारित समयावधि
1.	आगामी शैक्षिक सत्र हेतु यू-राईज पोर्टल पर अल्पसंख्यक संस्था के रूप में ट्रीट किये जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन की तिथि।	01 मई से 30 मई तक
2.	परिषद द्वारा स्वीकार किये गये आवेदन पत्रों के संबंध में शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराने की तिथि	10 जून तक
3.	शासन के निर्णय के संबंध में आवेदक संस्थाओं को यू-राईज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सूचित करने की तिथि	30 जून तक

7. कृपया डिप्लोमा स्तरीय शिक्षण संस्थाओं को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में ट्रीट किये जाने संबंधी उक्त निर्धारित प्रक्रिया एवं समय-सारिणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

Signed by
Azeez Ahmad
Date: 30-04-2025 19:07:53

भवदीय,

(अजीज अहमद)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, गेट नं0 4, प्रथम तल, जीवन तारा भवन, 5, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001
2. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4. समस्त मंडलायुक्त , उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी , उत्तर प्रदेश।
6. अध्यक्ष, ए०आई०सी०टी०ई/पी०सी०आई०/सी०ओ०ए०, नई दिल्ली।
7. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, कानपुर।
9. निदेशक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1, 2 एवं 3
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अजीज अहमद)
विशेष सचिव।